71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1506—एक/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—09—2010 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 290/2009—10/अपील

.....

श्रीमती ओमवती पत्नी राम गोविन्द सिकरवार
निवासी—ग्राम पिपरसाना, तहसील गोहद
जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

ब्रजमोहन पुत्र रामजीत
निवासी—गड़रौली, तहसील गोहद,
जिला—भिण्ड, म0प्र0

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 6—2—2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—09—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपरसाना तहसील गोहद, जिला—भिण्ड में स्थित विवादित भूमियां सर्वे क्र0 3697 रकबा 0.419 चरनोई व सर्वे क्र0 3698 रकबा 0.250 चरनोई भूमि पर अपीलार्थी 20 वर्ष पूर्व से खेती कृषि करती चली आ रही है। दिनांक 01.09.10 को कृषि कार्य करने से रोकने पर जानकारी हुई कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.11.2002 को उक्त भूमि अनावेदक को आवंटित कर दी गई

है। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 290/2009–10 में दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि विवादित भूमि वर्तमान में चरनोई के रूप में दर्ज है और पूर्व में भी दर्ज थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोइयत परिवर्तन विधि विपरीत किया गया। कलेक्टर द्वारा भी अधिकारताविहीन विधि के विपरीत संहिता की धारा 237(2) तथा 234(2) भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन प्रस्ताव का प्रारंभ 234(3) के अधीन होगा। संहिता की धारा 234(3) के अंतर्गत कार्यवाही की है जो गलत है। संहिता 234(3) में आम सभा द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सभा को कहीं भी कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं किया गया है। अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जावे तथा निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.10 को कृषि कार्य करने से रोकने पर जानकारी हुई कि उक्त विवादित भूमि अनावेदक बेच रहा है। उसने पटवारी मौजा से मिलकर पट्टा अपने नाम करा लिया है। इस पर अपीलार्थी द्वारा भिण्ड जाकर दिनांक 03.09.2010 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 06.09. 2010 को नकल प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि अनावेदक द्वारा आदेश दिनांक 28.11. 2002 से अपने नाम करा लिया है। कलेक्टर भिण्ड के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष निर्धारित अवधि (60 दिवस) से लगभग 7 वर्ष 10 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अपीलमेमों के साथ न जो इस न्यायालया में और न ही अधीनस्थ न्यायालय ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित भूमियों पर उसका 20 वर्ष से कब्जा अथवा आधिपत्य हो। अपीलार्थी का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है

कि उसे अनावेदक की भूमि बंटन की 7–8 वर्ष तक जानकारी नहीं थी। राजस्व अभिलेख में भी अपीलार्थी का कभी कोई कब्जा होना या उसके विरूद्ध कोई अतिक्रमण का प्रकरण प्रचलित होना प्रमाणित नहीं है। कलेक्टर भिण्ड द्वारा अनावेदक तथा अन्य कुछ लोगों को भूतपूर्व सैनिकों की हैसियत से विधिसंगत कार्यवाही करते हुये भूमि का आवंटन किया गया है। कलेक्टर भिण्ड के द्वारा प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की गई है, जिसकी पुष्टि आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने अपने प्रकरण क्रमांक 290/2009–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–09–2010 द्वारा की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्तित्वहीन होने से खारिज किया जाता है और आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–09–2010 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर